

न्यायालय भूमि सुधार उप-समाहर्ता सदर दरभंगा

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक- बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत वाद संख्या-44/2013-14 सन् 2013

मो० खलील एवं 02 अन्य बनाम जसों सिंह

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख-सहित																																										
	<p>अभिलेख आदेशार्थ उपस्थापित किया गया अनुशीलन किया।</p> <p>प्रस्तुत वाद की कार्यवाही बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम- 2009 के तहत (1) मो० खलील (2) मो० जलील, दोनों पिता- मो० अजीज (3) मो० रब्बानी पिता-स्व० मो० जहीर तीनों ग्राम- सिमरा, लालशाहपुर थाना- सदर, (मब्बी ओ० पी०) जिला- दरभंगा आवेदक तथा जसों सिंह पिता- स्व० दुर्गा सिंह मुहल्ला- कटहलबाड़ी (विद्यापति चौक से उत्तर) पो०- लालबाग, थाना- ल० ना० मि० वि० वि० दरभंगा विपक्षी हैं। इस वाद में विवाद के अन्तर्गत मौजा- सिमरा थाना नं०- 289 अंचल बहादुरपुर जिला-दरभंगा में अवस्थित निम्न ब्योरे की भूमि है :-</p> <p style="text-align: center;">मद नं० - 01</p> <table border="1" data-bbox="386 1285 1349 1704"> <thead> <tr> <th colspan="2">खाता</th> <th colspan="2">खेसरा</th> <th colspan="2">रकवा</th> <th>मांग</th> </tr> <tr> <th>पु०</th> <th>नया</th> <th>पु०</th> <th>नया</th> <th>पु०</th> <th>नया</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>245</td> <td>102</td> <td>296</td> <td>332</td> <td>55 डी०</td> <td>55 डी०</td> <td>समपूर्ण</td> </tr> <tr> <td>246</td> <td>102</td> <td>329</td> <td>348</td> <td>12 डी०</td> <td>12 डी०</td> <td>समपूर्ण</td> </tr> <tr> <td>246</td> <td>102</td> <td>331</td> <td>349</td> <td>15 डी०</td> <td>15 डी०</td> <td>समपूर्ण</td> </tr> <tr> <td>254</td> <td>102</td> <td>486, 489, 490,</td> <td>364</td> <td>78 डी० 05 ए० 36 डी०</td> <td>78 डी०</td> <td>द० से</td> </tr> </tbody> </table> <p>आवेदक द्वारा वाद पत्र में उल्लेख किया है कि मद नं०- 01 में विपक्षी जसों सिंह का नाम खारिज कर नया खतियान आवेदक के नाम अंश समान संशोधित किया जाय तथा आवेदकगण को दखल कब्जा दिलाया जाय तथा विपक्षी द्वारा पूर्व में बिक्री किए गए केवाला को अवैध घोषित किया जाय के निमित्त अनुतोष की याचना की है।</p>	खाता		खेसरा		रकवा		मांग	पु०	नया	पु०	नया	पु०	नया		245	102	296	332	55 डी०	55 डी०	समपूर्ण	246	102	329	348	12 डी०	12 डी०	समपूर्ण	246	102	331	349	15 डी०	15 डी०	समपूर्ण	254	102	486, 489, 490,	364	78 डी० 05 ए० 36 डी०	78 डी०	द० से	
खाता		खेसरा		रकवा		मांग																																						
पु०	नया	पु०	नया	पु०	नया																																							
245	102	296	332	55 डी०	55 डी०	समपूर्ण																																						
246	102	329	348	12 डी०	12 डी०	समपूर्ण																																						
246	102	331	349	15 डी०	15 डी०	समपूर्ण																																						
254	102	486, 489, 490,	364	78 डी० 05 ए० 36 डी०	78 डी०	द० से																																						

19/05/17

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित
	<p>आवेदक की ओर से वाद पत्र को शपथ पत्र से समर्थित करते हुए अधिनियम द्वारा निर्धारित न्याय शुल्क मो० एक सौ रुपये फ़ैकिंग मशीन सं०-3356 दिनांक-16.04.2013 द्वारा जमा कर दाखिल किया गया जिस पर उनके विद्वान अधिवक्ताओं को सुनते हुए वाद की प्रविष्टि करते हुए विपक्षियों को उचित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक-30.04.2014 को निबंधित सूचना निर्गत की गई। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निर्गत निबंधित सूचना अभिलेख पर वापस प्राप्त हुआ है। जिस अनुसार यह प्रतिवेदित किया गया कि नामी व्यक्ति का पता नहीं चला तत्पश्चात पुनः सूचना कार्यालय परिचारी द्वारा कराया गया, कार्यालय परिचारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि नामी व्यक्ति ने नोटिस पढ़ा तथा यह कहते हुए लेने से इन्कार किया कि मैं जसों सिंह हूँ, लेकिन मेरा असली नाम चंदेश्वर सिंह, पिता- दुर्गेश्वर सिंह है। प्रति अभिलेख में संलग्न, जिससे विदित होता है कि विपक्षी को इस कार्रवाई की सूचना प्राप्त हो गई है, बावजूद इसके विपक्षी ने कार्रवाई में एक भी तिथि को भाग नहीं लिया ना ही प्रश्नगत भूमि के संबंध में उजुरदारी/कागजी साक्ष्य ही अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत किया। अंततः न्यायहित में बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 की धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों के तहत विपक्षी को सूचना पाकर कार्रवाई की अवहेलना करने की स्थिति में कार्रवाई से वंचित करते हुए वाद की एकपक्षीय सुनवाई की घोषणा करते हुए दिनांक-15.01.2014 को साथ साथ की गई। तदुपरान्त इस वाद में आवेदकों के दावे पर उनके विद्वान अधिवक्ताओं को सुनते हुए इस वाद की विधिवत सुनवाई पूर्ण की गई है।</p> <p>आवेदक के वाद पत्र में उल्लेख किया गया है कि मौजा- सिमरा में पुराना खेसरा नं०- 296, 329, 331 एवं 486, 489, 490 है जिसका नया खेसरा 332, 348, 349 एवं 364 है। जिसका विवरण मद नं०- 01 में अंकित है। तथा पुराने विवरण मद नं०- 01 में अंकित है तथा पुराने खतियान में अली अकबर पे०- मो० साहेब के नाम दर्ज है। लेकिन हाल सर्वे में नया खेसरा में तीन नया खेसरा विपक्षी के नाम तथा एक नया खेसरा बिहार सरकार के दखलकार के रूप में विपक्षी का नाम नाम अंकित हो गया है।</p>	

11/9/05/114

आवेदक द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि नया सर्वे में विपक्षी के नाम खाता खुल जाने के कारण प्रश्नगत भूमि पर दावा करते हुए उक्त भूमि को बिना किसी अधिकार के बेचना प्रारम्भ किया। वादी जब अपने मरौसी भूमि पर पहुँचे तो खरीददार द्वारा बताया गया कि वे प्रश्नगत भूमि जसों सिंह से खरीदे हैं। तथा वादी द्वारा यह भी बताया गया कि विपक्षी जसों सिंह के पास विवादी जमीन संबंधित कोई प्रमाणिक कागजात नहीं है लेकिन सर्वे अमला को मेल में लेकर नया खतियान अपने नाम खोलवाकर वादीगण के मरौसी जमीन को बेच रहा है।

आवेदक द्वारा यह भी बताया गया कि विपक्षी दबंग व्यक्ति है। वादी जब विपक्षी से प्रश्नगत भूमि जो वदी की मरौसी भूमि है किस आधार पर बेच रहे हैं तथा हाल सर्वे खतियान उन्हें किस आधार पर बना है तो विपक्षी गाली गलौज करते हुए मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं। तथा विपक्षी द्वारा प्रश्नगत भूमि के कुछ भागों को बिक्री किया जा चुका है, जिसपर वादी बेदखल हो चुके हैं तथा शेष भूमि से कभी भी बेदखल हो सकते हैं।

वादी द्वारा अपने दावे के समर्थन में निम्न कागजात प्रस्तुत किया गया है :-

- (1) निबंधित केवाला की छायाप्रति।
- (2) हाल सर्वे खतियान की कम्प्यूटर की छायाप्रति।
- (3) पुराना एवं नया नक्शा की छायाप्रति।
- (4) निबंधित केवाला मोहम्मद जलील बनाम मोहम्मद कादिर की छायाप्रति।
- (5) दाखिल-खारिज वाद सं०-71/2010-11 के आदेश की सच्ची प्रतिलिपि की छायाप्रति।
- (6) मोहम्मद कादिर हुसैन के नाम राजस्व रसीद निश्वत जमाबन्दी सं०-30 वर्ष 2012-13, रकवा 06 कट्टा 04 धुर की छायाप्रति।

उपर्युक्त विवेचनोपरान्त ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक द्वारा अपने वाद पत्र के माध्यम से माँगी गई अनुतोष इस न्यायालय से बाहर का होना विदित होता है। चूँकि इस न्यायालय को **Sale deed** को अवैध घोषित करने की शक्ति प्रदत्त नहीं है, जिसका निदान सक्षम व्यवहार न्यायालय से ही संभव है। अतः यह न्यायालय इस वाद में इस निष्कर्ष पर

17/05/14

पहुँचती है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत वाद इस न्यायालय के Jurisdiction के बाहर का है।

अतः इस वाद में Complex Question of adjudication of title involve होने तथा Sale deed Cancellation का Question involve होने के कारण बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 की धारा-4 (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस Proceeding को Close (बन्द) किया जाता है। व्यथित पक्षकार को निदेशित किया जाता है कि Comptent civil court के समक्ष अपने दावे की उपचार के लिये याचना हेतु स्तंत्र हैं।

“अभिलेख संचिकास्त करें”

लेखापित एव शुद्धित

भू0 सु0 उप समाहर्ता
सदर, दरभंगा।

भूमि सुधार उप समाहर्ता
सदर, दरभंगा।